न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीनिधि बी टी, आई.ए.एस. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट

मुकदमा नम्बर :– 01/2022 (जी.सी.एम.एस नम्बर 2022/15)

उनवानी प्रकरण :–

प्रकाश पुत्र सूखा उम्र करीव 76 वर्ष जाति गूजर निवासी ग्राम निजामपुर तहसील बाडी जिला धौलपुर ----------प्रार्थी

बनाम

1–मोहन पुत्र हरिकिशन जाति जाटव निवासी ग्राम अहमदपुर बरोली का पुरा तहसील बाडी जिला धौलपुर

2–भूमि विकास बैंक बाडी जरिये प्रबन्धक भूमि विकास बैंक बाडी जिला धौलपुर

----------अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राज0भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970

उपस्थिति :–

प्रार्थी की ओर से :– श्री श्रीकान्त श्रीवास्तव एडवोकेट

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से :– श्री सुरेशचन्द कटारा एडवोकेट

अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से :– –

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

निर्णय दिनांक 21-10-2024

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नम्बर 224 रकवा 504 बीघा 01 विस्वा किस्म गैर मुमकिन पहाड ग्राम निजामपुर तहसील बाडी जिला धौलपुर में से 50 बीघा गैर मुमकिन पहाड की किस्म बदल कर वारानी सोयम दर्ज करके उक्त भूमि में से हरिकिशन पुत्र मुकन्दा जाति जाटव निवासी अहमदपुर बरौली का पुरा तहसील बाडी को उक्त आराजी में 03 बीघा का आवंटन एवं अन्य ग्रामवासीयों को आवंटन किया गया। आवंटन दिनांक 24.09.1970 को कौरम के अभाव में किया गया। नियमों की पालना नहीं की गई है। किस्म गैर मुमकिन पहाड होने के कारण राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के तहत आवंटन योग्य नहीं। आवंटन अवैध है। आवंटी हरिकिशन का कभी कव्जा काश्त आवंटित भूमि पर नहीं रहा हरिकिशन की मृत्यु के बाद अप्रार्थी मोहन का कभी नहीं रहा। अलोटमेन्ट कमेटी द्वारा अलोटमेन्ट योग्य भूमि की कोई लिस्ट सूची नहीं बनाई गई न कोई अधिसूचना जारी की न कोई भूमि आवंटन के लिये आवेदन मांगे गये। सलाहकार समिति का कोरम पूरा नहीं था। आवंटी ने काश्त नहीं किया। आवंटी हरिकिशन भूमिहीन व्यक्ति नहीं था। अतः आवंटी को किया गया आवंटन निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि उनको इस नोटिस के सम्बन्ध में कोई उज्रदारी हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें तथा अपीलाधीन आवंटन रिकार्ड तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री सुरेशचन्द कटारा एडवोकेट ने उपस्थित होकर अपना वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्य 2 वावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व दिनांक 24.09.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 के अभिभाषक ने नोटिस का जबाव प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने आवंटन कमेटी को पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा राजस्थान सरकार को पक्षकार नहीं बनाया गया है अतः बिना पक्षकार प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। गै0मु0 पहाड से किस्म परिवर्तन सोयम आराजी तब्दील का आदेश दिनांक 18.09.1970 को उपजिलाधीश/अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है आदेश अन्तिम हो चुका है प्रार्थना पत्र में किस्म परिवर्तन को चुनौती नहीं दी जा सकती है अलग से कार्यवाही करनी चाहिए थी क्योंकि किस्म परिवर्तन का आदेश अलग से है। आवन्टी को नामान्तकरण संख्या 75 ग्राम निजामपुर को समस्त शर्तो का पालन करने के पश्चात खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है अतः खातेदारी अधिकारी प्राप्त होने के बाद प्रार्थना पत्र 14(4) नियम 1970 के अन्तर्गत आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है अतः प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। आवन्टी द्वारा समस्त शर्तो का पालन किया गया है अतः प्रार्थना पत्र व्यक्तिगत द्वेष के कारण प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी के भाई के खिलाफ धारा 3 अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधि0 के अन्तर्गत जेल गया वैयमनस्ता के कारण प्रार्थना पत्र पेश किया है। आवन्टी अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की उन्नति के लिए भूमिहीन व्यक्तियों का आवंटन किया गया था। लेकिन बाद में अनावश्यक विवाद में फसाकर अप्रार्थी की भूमि को हडपना चाहते है क्योंकि कमजोर जाति को दवाना चाहते है और सरकारी योजना को विफल करना प्रार्थी चाहता है प्रार्थी के खिलाफ एफ.आई.आर. नम्बर 333/22 थाना सदर बाडी में घटना की रिपोर्ट पेश की प्रकरण विचाराधीन है बाद में प्रार्थना पत्र पेश किया है। नियम 14(3) नियम 1970 को दिनांक 23.07.1999 को डिलीट कर दिया गया है संशोधन सन 1995 से पूर्व आवंटन पर लागू होगा अतः 02 वर्ष पूर्व कब्जा है तो आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है अतः नियम 14(2) नियम 1970 के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकती है। आवंटन सन 1970 में हरि किशन पुत्र मुकन्दा को किया गया था प्रार्थना पत्र 50 साल बाद पेश किया गया है केवल दुर्भावना पूर्वक प्रार्थना पत्र पेश किया जबकि आवंटन अन्य व्यक्तियों को भी हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 मोहन उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार है मौके पर कब्जा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रमाणित प्रतिलिपि भूमि आवंटन आदेश दिनांक 24.09.1970, नकल जमाबन्दी भू-प्रबन्ध विभाग सम्बत 2022 ग्राम निजामपुर, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079, नकल नामान्तकरण संख्या-95, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 108 ग्राम निजामपुर तहसील बाडी पेश किये है।

अप्रार्थी ने अपने जबाव के समर्थन में नकल प्रमाणित प्रति किस्म तब्दील आदेश दिनांक 18.09.1970 उपजिलाधीश धौलपुर, नकल प्रमाणित प्रति आवंटन आदेश दिनांक 24.09.1970 हरिकिशन, नकल प्रमाणित प्रति आवंटन हरिकिशन दिनांक 18.09. 1970, नकल प्रमाणित प्रति नामान्तकण संख्या 19 निजमापुर, नकल प्रमाणित प्रति खसरा निजामपुर संवत 2031–33, नकल प्रमाणित प्रति खसरा निजामपुर संवत 2034–37, नकल प्रमाणित प्रति खसरा निजामपुर संवत 2038–41, नकल प्रमाणित प्रति खसरा निजामपुर संवत 2042–45, नकल प्रमाणित प्रति खसरा निजामपुर संवत 2046–57, नकल प्रमाणित प्रति खसरा निजमापुर संवत 2058–61, नकल प्रमाणित प्रति खसरा निजामपुर संवत 2062–65, नकल प्रमाणित प्रति खसरा निजामपुर संवत 2066–69, नकल प्रमाणित प्रति जमावन्दी निजामपुर संवत 2029, नकल प्रमाणित प्रति जमावंदी निजामपुर संवत 2033–36, नकल प्रमाणित प्रति जमावंदी निजामपुर संवत 2037–40, नकल प्रमाणित प्रति जमावंदी निजामपुर संवत 2042, नकल प्रमाणित प्रति जमावंदी निजामपुर संवत 2046–49, नकल प्रमाणित प्रति जमावंदी निजामपुर 2050–53, नकल प्रमाणित प्रति जमावंदी निजामपुर संवत 2054–57, नकल प्रमाणित प्रति जमावंदी निजामपुर संवत 2006, नकल प्रमाणित प्रति जमावंदी निजामपुर संवत 2066–69, नकल प्रमाणित प्रति जमावंदी निजामपुर संवत 2058–61, नकल प्रमाणित प्रति जमावंदी निजामपुर संवत 2070–73, नकल छायाप्रति एफआईआर न0. 333/2022 थाना बाडी पेश किये है।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि उक्त विवादित आराजी का आवंटन दिनांक 24.09.1970 हरिकिशन को कौरम के अभाव में किया गया। नियमों की पालना नहीं की गई है। किस्म गैर मुमकिन पहाड होने के कारण राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के तहत आवंटन योग्य नहीं थी। आवंटन अवैध है। आवंटी हरिकिशन का कभी कब्जा काश्त आवंटित भूमि पर नहीं रहा हरिकिशन की मृत्यु के बाद अप्रार्थी मोहन का कब्जा काश्त कभी नहीं रहा। अलोटमेन्ट कमेटी द्वारा अलोटमेन्ट योग्य भूमि की कोई सूची नहीं बनाई गई न कोई अधिसूचना जारी की न कोई भूमि आवंटन के लिये आवेदन मांगे गये। सलाहकार समिति का कोरम पूरा नहीं था। आवंटी ने काश्त नहीं किया। आवंटी हरिकिशन भूमिहीन व्यक्ति नहीं था। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में जबाव में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आ0ख0 224 रकवा 504 बीघा 01 बिस्वा वाके ग्राम निजामपुर की किस्म परिवर्तन किस्म गै0मु0 पहाड से किस्म बारानी सौयम दिनांक 17. 09.1970 शताब्दी वर्ष अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 20 बीघा भूमि अति0 जिलाधीश एवं दिनांक 18.09.1970 को 50 बीघा भूमि को काविल कास्त की किस्म परिवर्तन की गई है। गै0मु0 पहाड में कृषि योग्य भूमि का आवंटन किया जा सकता है। आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता है। दिनांक 17.09.1970 अति0 जिलाधीश एवं दिनांक 18.09.1970 को किस्म परिवर्तन की अपील राजस्व अपील अधिकारी के यहां आज तक नहीं की है उक्त दोनों आदेश किसी सक्षम न्यायालय ने निरस्त नही किये

है। किस्म परिवर्तन आदेशों को प्रा0पत्र 14(4) नियम 1970 के अंतर्गत चिनौती नहीं दी जा सकती है। आवंटन की नियम 7 आवंटन नियम 14(4) उदघोषणा दिनांक 11.09. 1970 को जारी की गई है कमेटी की सूचना एमएलए, प्रधान, सरपंच, तहसीलदार सात व्यक्तियों में से 4 उपस्थित कोरम पूरा एसडीओ आवंटन कमेटी का अध्यक्ष प्राधिकृत अधिकारी ने सलाहकार समिति की सिफारिस पर आवंटन किया है। आवंटन विधिवत है। आवन्टी भूमिहीन अनुसूचित जाति का सदस्य है। आवंटी उसी पंचायत का निवासी है। राजस्थान का निवासी है। सदभावी काश्तकार व्यक्ति है अनुसरण में पात्रता की जांच कर आवंटन किया गया है। आवंटन विधिवत है। आवंटन के पश्चात मौके पर कब्जा दिया गया। नामान्तकरण संख्या 19 ग्राम निजामपुर दिनांक 28.09.1872 को पटवारी हल्का द्वारा भरा गया तहसीलदार द्वारा दिनांक 4.11.1972 को स्वीकार किया गया आवंटन की समस्त शर्तो का पालन किया गया नामान्तकरण संख्या 75 निजामपुर से गैर खातेदारी को खातेदार हरिकिशन पुत्र मुकन्दी आवंटी को प्रदान किये गये है। आवंटी का मौके पर कब्जा है खसरा संवत 2038,2039,2040,2055,2062 में काश्त दर्ज है। जहां दस्तावेजी साक्ष्य तैयार की जाती है वह मौखिक साक्ष्य धारा 92 एवीडेंस एक्ट में कोई महत्व नहीं है प्रार्थी ने कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। पटवारी हल्का द्वारा खसरा गिरदावरी तैयार की जाती है। उपधारणा सही है। मौके पर कोई पोखर नहीं है। आवंटी हरिकिशन पुत्र मुकन्दा ने आवंटन कमेटी को कोई धोखा देकर व गलत तथ्यों से आवंटन नही कराया है। प्रार्थी ने कोई साक्ष्य पेश नही की है कि आवंटी भूमिहीन नही था या उसके पास भूमि थी। आवंटी को खातेदारी अधिकारी प्राप्त होने के बाद आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। आवंटन नियम 14(4) 1970 के अंतर्गत कार्यवाही नहीं कर सकते है। राज0 काश्तकारी अधि0 के अंतर्गत कार्यवाही कर सकते है। 14(4) आवंटन नियम 1970 का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। आवंटन के 50 वर्ष बाद प्रार्थना पत्र पेश किया है जो पोषणीय नहीं है। आवंटी हरिकिशन पुत्र मुकन्दा का देहांत हो गया है उसका उत्तराधिकारी मोहन पुत्र हरिकिशन उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार है। मौके पर काबिज है। खातेदार के खिलाफ प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। उन्होने अपने तर्को के समर्थन में आर.आर.डी.1996पेज525,आर.बी.जे.2009 पेज112 ,आर. बी.जे.2010पेज157 आर.आर.टी.2017पेज 972,आर.आर.डी.2011पेज510,आर.बी.जे.1996पेज 164,आर.आर.डी.1995पेज780,आर.बी.जे.2020पेज648,आर.बी.जे.2016पेज418,आर.बी.जे. 2023पेज304,आर.बी.जे.2020पेज648,296,आर.आर.डी.1980पेज 155 के न्यायिक दृष्टान्त पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 14(4) खारिज फरमाया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रमाणित प्रति आवटंन आदेश दिनांक 24.09.1970 का अवलोकन किया जिसमें आवंटी हरकिशन पुत्र मुकन्दा के साथ अन्य 6 व्यक्तियों को आराजी खसरा नम्बर 224 में भूमि आवटिंत की गई है। उक्त आवंटन आदेश से यह भी स्पष्ट है कि आ0ख0 224 रकवा 504 बीघा 01 बिस्वा वाके ग्राम निजामपुर की किस्म परिवर्तन किस्म गै0मु0 पहाड से किस्म बारानी सौयम दिनांक 17.09.1970 शताब्दी वर्ष अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दिनांक 18.09.1970 को 50 बीघा भूमि उप जिलाधीश धौलपुर द्वारा काविल कास्त की किस्म परिवर्तन की गई है। इस आराजी के लिये राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू कृषि प्रयोजनार्थ भूमि

आवंटन नियम 1970 के तहत प्रोक्लेमेसन दिनांक 01.09.1970 जारी किया गया तथा नियम 13 के तहत गठित सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 24.09.1970 आयोजित बैठक में सदस्यों की उपस्थिति के लिये दिनांक 01.09.1970 को नोटिस जारी किये गये। कमेटी की सूचना एमएलए, प्रधान, सरपंच, तहसीलदार सात व्यक्तियों में से 4 उपस्थित कोरम पूरा एसडीओ आवंटन कमेटी का अध्यक्ष प्राधिकृत अधिकारी ने सलाहकार समिति की सिफारिस पर आवंटन किया है। आवंटन विधिवत है। आवन्टी भूमिहीन अनुसूचित जाति का सदस्य है। आवंटी उसी पंचायत का निवासी है। राजस्थान का निवासी है। पात्रता की जांच कर आवंटन किया गया है। प्रार्थी ने कोई साक्ष्य पेश नही की है कि आवंटी भूमिहीन नही था या उसके पास भूमि थी। प्रार्थी ने दिनांक 17.09.1970 अति0 जिलाधीश एवं दिनांक 18.09.1970 को किस्म परिवर्तन आदेश की अपील राजस्व अपील अधिकारी के यहां आज तक नहीं की है। उक्त दोनों आदेश किसी सक्षम न्यायालय ने निरस्त नही किये है। किस्म परिवर्तन आदेशों को प्रा0पत्र 14(4) नियम 1970 के अंतर्गत चिनौती नहीं दी जा सकती है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल खसरा संवत 2038,2039,2040,2055,2062 में काश्त दर्ज है जिससे यह सावित होता है कि आवंटी का मौके पर कब्जा है। जहां दस्तावेजी साक्ष्य तैयार की जाती है वह मौखिक साक्ष्य धारा 92 एवीडेंस एक्ट में कोई महत्व नहीं है प्रार्थी ने कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। आवंटन के पश्चात मौके पर कब्जा दिया गया। नामान्तकरण संख्या 19 ग्राम निजामपुर दिनांक 28.09.1872 को पटवारी हल्का द्वारा भरा गया तहसीलदार द्वारा दिनांक 4.11.1972 को स्वीकार किया गया आवंटन की समस्त शर्तो की पालना किये जाने की जॉच पश्चात नामान्तकरण संख्या 75 निजामपुर से गैर खातेदारी को खातेदार हरिकिशन पुत्र मुकन्दा आवंटी को प्रदान किये गये है। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात नियम 14(4)भूमि आवंटन नियम 1970 के द्वारा खातेदारी अधिकारों को निरस्त नहीं किया जा सकता जैसा कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने 1986 आर आर डी पेज 137 एवं आर आर डी 1987 पेज 371 पर प्रतिपादित किया है। यहॉ तथ्य भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी ने आवंटन कमेटी को पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा राजस्थान सरकार को पक्षकार नहीं बनाया गया है अतः बिना पक्षकार प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। अप्रार्थी के विरूद्व आवंटन के लगभग 50 वर्ष बाद प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि आवंटन अन्य व्यक्तियों को भी हुआ है जो पोषणीय नहीं है। अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त व नजीरों से हम पूर्णतः सहमत है। उपरोक्त विवचेन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना व आवंटन यथावत रखा जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन दिनांक 24.09.1970 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21-10-24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर